Teacher's Manual

Carvaan

व्याकरण

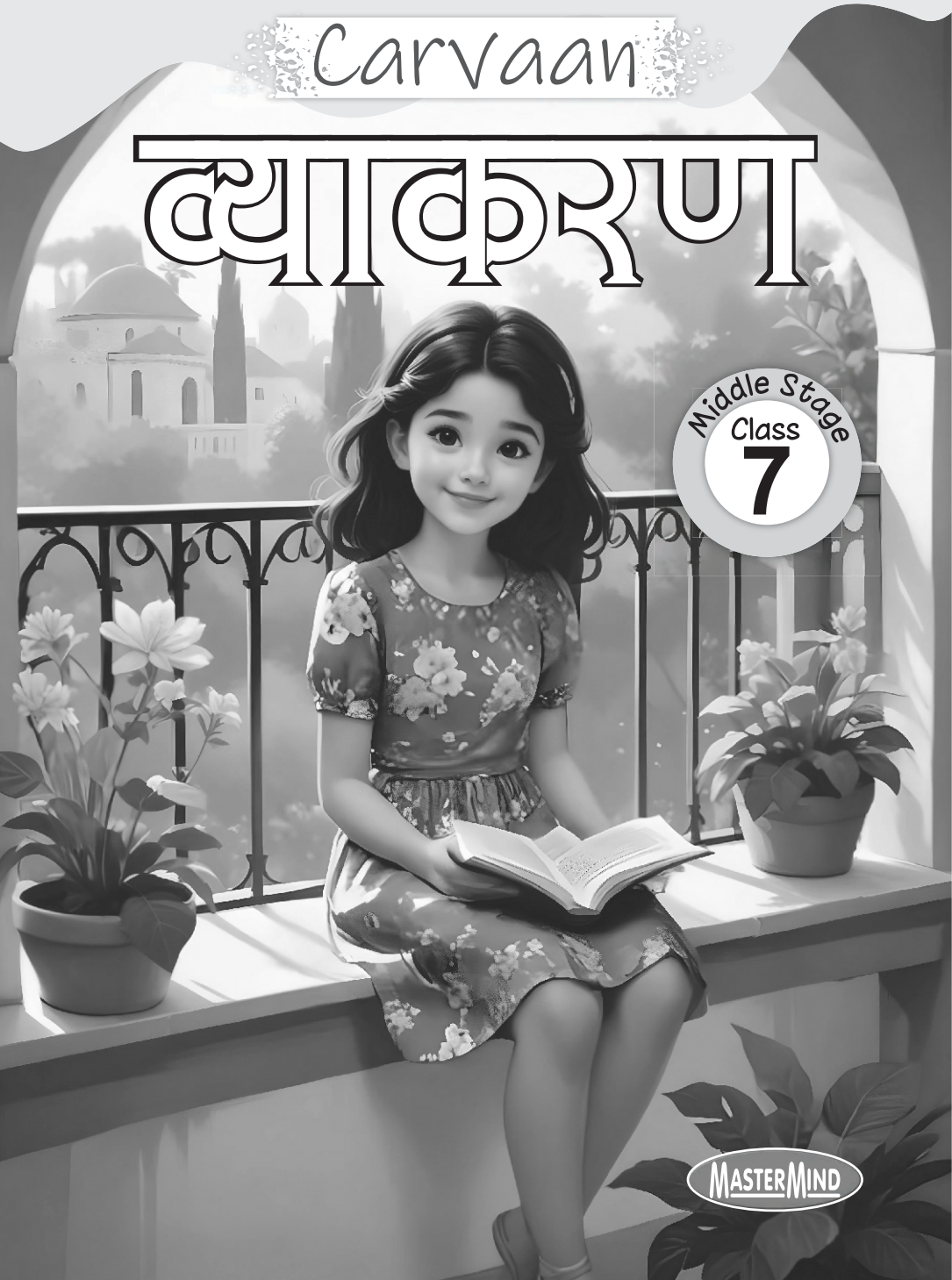

Carvaan

व्याकरण भाग-7

अध्याय 1

भाषा और व्याकरण

उ०(क) 1. जो बोली हम व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं।

2. भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष' शब्द से बना है।

3. दो प्रकार से।

4. लिखित भाषा।

5. व्याकरण।

उ०(ख) 1. भाषा विचारों के आदान-प्रदान का वह साधन है, जो बोलने या लिखने के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

2. **व्याकरण–** किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं, समझते और समझाते हैं। अध्ययन और अध्यापन में इसका विशेष महत्व होता है। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाती है।

3. **बोली–** भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है।

4. व्याकरण के प्रमुख अंग वाक्य-विचार इस प्रकार है–

(i) वर्ण-विचार

(ii) शब्द-विचार

(iii) वाक्य-विचार

उ०(ग) 1. भाषा के दो रूप होते हैं– (i) मौखिक या उच्चरित भाषा तथा (ii) लिखित भाषा।

(i) **मौखिक या उच्चरित भाषा–** मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं, वह मौखिक भाषा है। लोक-व्यवहार में भाषा के इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है।

(ii) **लिखित भाषा–** मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है।

2. **बोली–** भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है।

हिंदी भाषा की अनेक बोलियाँ हैं। इन बोलियों में लोक-साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं- अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमानी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान प्राप्त है।

लिपि– भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिए जाते हैं, वे 'वर्ण' कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं, उसे 'लिपि' कहते हैं।

संस्कृत, हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है।

पंजाबी भाषा 'गुरुमुखी लिपि' में, उर्दू भाषा 'अरबी लिपि' में तथा अंग्रेज़ी भाषा 'रोमन लिपि' में लिखी जाती है।

3. व्याकरण के प्रमुख रूप से तीन अंग माने जाते हैं-

(i) वर्ण-विचार (Orthography)– इसके अंतर्गत अक्षरों (वर्णों) के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है।

(ii) शब्द-विचार (Etymology)– इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति-व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है।

(iii) वाक्य-विचार (Syntax)– इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता-अशुद्धता तथा विराम-चिह्नों आदि पर विचार किया जाता है

उ०(घ)

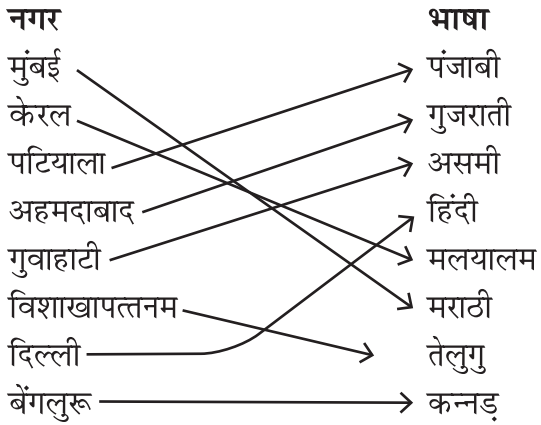

अध्याय 2

वर्ण-विचार

उ०(क) 1. भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड न किए जा सकें। वर्ण दो प्रकार के होते हैं–

(i) स्वर (ii) व्यंजन

2. **स्वर–** जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या ग्यारह है। ये हैं- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

3. **स्वरों के भेद–** उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद होते हैं- (i) ह्रस्व स्वर (ii) दीर्घ स्वर (iii) प्लुत स्वर।

4. **संयुक्त व्यंजन**– दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं; जैसे-

क्ष = क् + ष् + अ (क्षत्रिय)

त्र = त् + र् + अ (त्राण)

ज्ञ = ज् + ञ् + अ (ज्ञान)

श्र = श् + र् + अ (श्रावण)

द्वित्व व्यंजन– जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं; जैसे-

क्क = क् + क = चक्कर, चक्की, मक्का, शक्कर।

च्च = च् + च = बच्चा, कच्चा, सच्चा, खच्चर।

त्त = त् + त = कुत्ता, पत्ता, सत्तर, छत्ता।

ल्ल = ल् + ल = बल्ला, छल्ला, तल्लीन, गल्ला।

5. **स्पर्श व्यंजन–** जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मुख के भाग से स्पर्श होकर इनकी ध्वनि निकलती है, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं–

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न

प फ ब भ म

उ०(ख)	अंत	अनुस्वार	अंतर	अनुस्वार
	आँख	अनुनासिक	मुँह	अनुनासिक
	संशय	अनुस्वार	पाँच	अनुनासिक
	अंडा	अनुस्वार	पंख	अनुस्वार
	वंश	अनुस्वार	दंत	अनुस्वार
	चाँद	अनुनासिक	बाँसुरी	अनुनासिक

उ०(ग) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ

अध्याय 3

शब्द-विचार

उ०(क) 1. शब्द भाषा की वास्तविक संपदा होती है।

2. वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं।

3. व्युत्पत्ति का अर्थ है– बनावट।

4. विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं।

उ०(ख) 1. **शब्द और पद–** प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण-समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है, तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बँध जाता है और पद कहलाता है। व्याकरण में शब्द और पद दोनों में स्पष्ट अंतर है।

उदाहरणार्थ- 'लड़के ने पुस्तक खोली।' वाक्य में 'लड़के ने' पद का रूप 'लड़का' शब्द से भिन्न होता है।

2. तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से आने पर उनका रूप बदल जाता है। तत्सम शब्दों का उच्चारण और वर्तनी संस्कृत के अनुसार होता है जबकि तद्भव शब्दों का उच्चारण और वर्तनी हिंदी के अनुसार होता है।

3. अर्थ के आधार पर शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इनके नाम निम्नलिखित हैं–

(i) एकार्थी शब्द

(ii) अनेकार्थी शब्द

(iii) पर्यायवाची शब्द

(iv) विलोम शब्द।

4. **अविकारी शब्द–** जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार (परिवर्तन) नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं; जैसे-

वह आज आएगा। वे आज आएँगे।

अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं-

(i) विशेषण क्रिया (ii) संबंधबोधक (iii) समुचयबोधक (iv) विस्मयादिबोधक।

उ०(ग) 1. हिंदी में शब्दों का विशाल भंडार है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है।

(i) **उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण–** हिंदी भाषा में उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों को पाँच भागों में बाँटा गया है– (1) तत्सम, (2) तद्भव, (3) देशज, (4) विदेज (विदेशी शब्द), (5) संकर शब्द।

(ii) **उत्पत्ति (रचना) के आधार पर वर्गीकरण–** इस आधार पर भी शब्दों को तीन भागों में बाँटा गया है–

(1) रूढ़ (2) यौगिक (3) योगरूढ़

(iii) **अर्थ के आधार पर वर्गीकरण–** अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित चार भेदों में वर्गीकृत किया गया है–

(1) एकार्थी शब्द (2) अनेकार्थी शब्द

(3) पर्यायवाची शब्द (4) विलोम शब्द

(iv) **प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण–** वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी आधार पर शब्दों को निम्न दो वर्गों में बाँटा गया है–

2. **विदेशी शब्द–** विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बाहुल्यता है, उनमें अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी आदि मुख्य हैं।

उदाहरणार्थ-

अंग्रेजी – कार, बटन, डॉक्टर, स्कूल, पैंट, डिग्री, स्टेशन, बोर्ड, कोट आदि।

अरबी – वकील, किताब, औरत, दारोगा, खर्च, गिरफ्तार, कस्बा, कानून, मकान आदि।

फ़ारसी – दुकान, बादाम, फौज, काग़ज़, दरबार, मुर्दा, बर्फ, खून, फासला, हज़ार आदि।

तुर्की – तोप, कुरता, लाश, कैंची, चाकू आदि।

पुर्तगाली – कमरा, तौलिया, अलमारी, काजू, फीता, गोदाम, आलू आदि।

फ्रांसीसी – इंजीनियर, कार्टून, बिगुल, पुलिस, कूपन आदि।

यूनानी (ग्रीक)– टेलीफ़ोन, डेल्टा, ऐटम, टेलीग्राम आदि।

चीनी – चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि।

3. यौगिक शब्द– दो या दो अधिक शब्दों के योग (मेल) से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएँ, तो वे खंड भी सार्थक होते हैं; जैसे–

रेलगाड़ी – (रेल+गाड़ी)

पुस्तकालय – (पुस्तक+आलय)

ये सभी शब्द दो मूल शब्दों के जोड़ से बने हैं, जिनका अपना विशेष कार्य है।

योगरूढ़ शब्द– जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक अर्थ के लिए ही जाने जाते हैं; जैसे–

जल	+	ज	=	जलज
↓		↓		
(पानी)		(जन्मा)		(कमल)

पानी में अनेक जीव-जंतु एवं वनस्पति जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जा सकता। यह शब्द (जलज) कमल के लिए रूढ़ हो गया है।

उ०(घ)

साँप	सर्प	गाँव	ग्राम
सात	सप्त	कबूतर	कपोत
सांझ	संध्या	चमड़ा	चर्म
घी	घृत	नाक	नासिका
दाँत	दंत		

उ०(ङ) देशज शब्द– बल, भाग, गाँव, धूप, रोटी, बेल, घोड़ा, झोंपड़ी, बच्चा, डिबिया, गाय

विदेशी शब्द– तारीख, ऑफिस, टेलीफ़ोन, स्टेशन, लाइब्रेरी, प्रिंसिपिल, अखबार, क्लास

अध्याय 4

संधि

उ०(क) 1. चार 2. राम+अवतार = रामावतार

3. संधि तीन प्रकार की होती हैं।

4. स्वर संधि के पाँच उपभेद हैं।

उ०(ख) 1. दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे 'संधि' कहते हैं। अत: निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं।

2. संधि का महत्व– संधि करने और संधि-विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है।

3. **वृद्धि संधि**- जब 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ऐ'; यदि 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं।

4. विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर 'श्' हो जाता है, विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर 'ष्' हो जाता है तथा त, थ होने पर 'स्' हो जाता है; जैसे-
नि:+चल=निश्चल नि:+ठुर=निष्ठुर

उ०(ग) 1. (i) **व्यंजन संधि–** जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं।

(ii) **विसर्ग संधि–** परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग (:) और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं।

2. **गुण संधि–** यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ए'; यदि 'उ' या 'ऊ' हो तो दोनों के स्थान पर 'ओ' और यदि 'ऋ' हो तो 'अर्' तो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं।

(अ+इ=ए)	देव+इन्द्र=देवेन्द्र	भारत+इन्दु=भारतेन्दु
(अ+ई=ए)	नर+ईश=नरेश	दिन+ईश=दिनेश
(आ+इ=ए)	राजा+इन्द्र=राजेन्द्र	यथा+इष्ट=यथेष्ट
(आ+ई=ए)	महा+ईश्वर=महेश्वर	उमा+ईश=उमेश
(अ+उ=ओ)	लोक+उक्ति=लोकोक्ति	सूर्य+उदय=सूर्योदय

3. पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन– किसी वर्ग के पहले वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्) का मेल किसी स्वर या 'य, र, ल, व' में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण (ग्, ज्, ड, द्, ब्) में बदल जाता है; जैसे–

दिक् + दर्शन	= दिग्दर्शन	दिक् +गज	= दिग्गज
तत् + भव	= तद्भव	जगत् +ईश	= जगदीश
सत् + आचार	= सदाचार	षट् +आनन	= षडानन

उ०(घ) उज्जवल – उत् + ज्वल सद्भावना – सत्+भावना
धर्मात्मा – धर्मा + आत्मा गणेश – गण+ईश
अत्यावश्यक – अति + आवश्यक

उ०(ङ) रवि + इन्द्र = दीर्घ यदि + अपि = यण्
सुर + ईश = गुण सु + आगत = यण्

अध्याय 5

समास

उ०(क) 1. समस्तपद 2. चार

3. विशेषण उभयपद 4. दो पद (पूर्वपद और उत्तरपद)।

उ०(ख) 1. **तत्पुरुष समास–** जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति (को, से, के लिए, से (द्वारा), का, की, के, में, पर) का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है; जैसे– शरणागत = शरण को आया हुआ; गगनचुम्बी = गगन को चूमने वाला।

तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्वपद में लगे हुए कारक-चिह्नों के नाम से किए जाते हैं; जैसे–

कर्म तत्पुरुष ('को' का लोप)

समस्तपद	**विग्रह**
यशप्राप्त	यश को प्राप्त
जेबकतरा	जेब को काटने वाला

करण तत्पुरुष
('से', 'के द्वारा' का लोप)

समस्तपद	**विग्रह**
ईश्वरप्रदत्त	ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ
रेखांकित	रेखा से अंकित

संप्रदान तत्पुरुष
('के लिए' का लोप)

समस्तपद	**विग्रह**
सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह
गौशाला	गौओं के लिए शाला

अपादान तत्पुरुष
('से', 'अलग होने के अर्थ में'

समस्तपद	**विग्रह**
गुणहीन	गुणों से हीन
धनहीन	धन से हीन

संबंध तत्पुरुष
('का, की, के' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
सेनापति	सेना का पति
दीनानाथ	दीनों के नाथ

अधिकरण तत्पुरुष
('में, पे, पर' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
नरोत्तम	नरों में उत्तम
आपबीती	आप पर बीती

2. **कर्मधारय समास–** जिस समास में पूर्व पद 'गौण' तथा उत्तरपद 'प्रधान' हो तथा पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
3. **द्विगु समास–** जिस सामासिक पद का पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो, द्विगु समास कहलाता है।
4. **अव्ययीभाव समास–** जिस समस्तपद का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, तथा उसके योग से सारा समस्तपद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है।

उ०(ग) 1. तत्पुरुष समास जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति (को, से, के लिए, से (द्वारा), का, की, के, में, पर) का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है; जैसे– शरणागत = शरण को आया हुआ; गगनचुम्बी = गगन को चूमने वाला।

तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्वपद में लगे हुए कारक-चिह्नों के नाम से किए जाते हैं; जैसे– कर्म तत्पुरुष ('को' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
यशप्राप्त	यश को प्राप्त
जेबकतरा	जेब को काटने वाला

करण तत्पुरुष ('से', 'के द्वारा' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
ईश्वरप्रदत्त	ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ
रेखांकित	रेखा से अंकित

संप्रदान तत्पुरुष ('के लिए' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह
गौशाला	गौओं के लिए शाला

अपादान तत्पुरुष ('से', 'अलग होने के अर्थ में' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
गुणहीन	गुणों से हीन
धनहीन	धन से हीन

संबंध तत्पुरुष ('का, की, के' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
सेनापति	सेना का पति
दीनानाथ	दीनों के नाथ

अधिकरण तत्पुरुष ('में, पे, पर' का लोप)

समस्तपद	विग्रह
नरोत्तम	नरों में उत्तम
आपबीती	आप पर बीती

2. कर्मधारय समास में समस्तपद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है।

नीलगगन	नीला जो गगन	(कर्मधारय)
कालीमिर्च	काली जो मिर्च	(कर्मधारय)
नवग्रह	नौ ग्रहों का समूह	(द्विगु)
चतुवर्ण	चार वर्ण	(द्विगु)

3. संधि और समास दोनों यद्यपि 'मेल' करने की प्रकृति रखते हैं, परंतु दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार है–

(i) संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है।

(ii) संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं।

उ०(घ)

शब्द समूह	**समस्तपद**	**समास**
पाप पुण्य	पाप–पुण्य	द्वंद्व समास
तीन फलों का समूह	त्रिफला	द्विगु समास
काली जो मिर्च	काली मिर्च	कर्मधारय
धन से हीन	धनहीन	अपादान तत्पुरुष
दोष से मुक्त	दोषमुक्त	अपादान तत्पुरुष
पति और पत्नी	पति–पत्नी	द्वंदव समास
नरों का भक्षी	नरभक्षी	तत्पुरुष समास
दो राहों का समूह	दोराहा	द्विगु समास

अध्याय 6

संज्ञा

उ०(क) 1. संज्ञा के मुख्य तीन भेद हैं।

2. जातिवाचक संज्ञा, जैसे– नदी, बालक, पर्वत आदि।

3. भाववाचक संज्ञाओं की रचना पाँच प्रकार से होती है।

4. भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है।

उ०(ख) 1. संज्ञा के तीन भेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

(i) व्यक्तिवाचक संज्ञा

(ii) जातिवाचक संज्ञा

(iii) भाववाचक संज्ञा।

2. **जातिवाचक संज्ञा–** जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे- बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, नदी, बहन, भाई, वर्षा, बिजली, आम, कुर्सी, कवि, अध्यापक, घोड़ा, मामा, चाचा, फूल, तोते, कबूतर आदि।

3. **भाववाचक संज्ञा–** वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराएँ, 'भाववाचक संज्ञा' कहलाते हैं; जैसे- सुख, दु:ख, मान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, शत्रुता, उदारता, शीतलता, गर्मी, मिठास आदि। इस संज्ञा का हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं।

उ०(ग) 1. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं-

प्राणी– राम, कृष्ण, मीराबाई, स्त्री, पुरुष, गाय, लड़का, मछली, कुत्ता, चिड़िया आदि।

वस्तु– पुस्तक, कलम, मिठाई, जूता, कपड़े आदि।

स्थान– भारत, दिल्ली, नेपाल, लंदन, गली, चबूतरा, सड़क आदि।

गुण, अवस्था या भाव– बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सच्चाई, उदारता, दुष्टता, सौंदर्य आदि।

2. **समुदायवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा में अन्तर–** द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु, अधातु या तरल का बोध होता है, वहीं समुदायवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है।

   द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं– लोहा, सोना, तेल, चावल, गेहूँ आदि।

   समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत– कक्षा, दल, समूह, गिरोह, सेना आदि आते हैं।

3. **व्यक्तिवाचक संज्ञा–** जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है।

   निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बोधक हैं-

   (i) **व्यक्तियों के नाम–** राम, श्याम, अपूर्व, कुलदीप, सुरेश, महेंद्र, सीता, राधा आदि।

   (ii) **दिशाओं के नाम–** पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।

   (iii) **देशों के नाम–** भारत, नेपाल, मारीशस, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, सिंगापुर आदि।

   (iv) **पर्वतों के नाम–** हिमालय, विंध्याचल, अरावली आदि।

   (v) **नदियों के नाम–** गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा आदि।

   (vi) **समुद्रों के नाम–** हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर आदि।

   (vii) **नगरों के नाम–** दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ आदि।

   (viii) **पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के नाम–** रामचरितमानस, मेघदूत, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि।

   (ix) **दिनों व महीनों के नाम–** रविवार, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, चैत्र आदि।

   (x) **ग्रहों व नक्षत्रों के नाम–** पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, रोहिणी, चित्रा आदि।

(xi) **त्योहारों के नाम–** दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि।

उ०(घ) उड़ना – उड़ान
चालाक – चालाकी
हरा – हरियाली
सजाना – सजाई
पढ़ना – पढ़ाई

उ०(ङ)

एकता	✓	चतुर	✗
प्रभुत्व	✓	दूध	✗
गर्म	✗	बचपन	✓

अध्याय 7

लिंग

उ०(क) 1. लिंग शब्द का अर्थ है– 'चिह्न' या 'निशान'

2. हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं।

3. लिंग की पहचान का निर्णय दो प्रकार से किया जा सकता है।

4. बालिका

उ०(ख) 1. लिंग का शाब्दिक अर्थ है– 'चिह्न' या निशान जो स्त्री-पुरुष को दर्शाता हो। अत: शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं।

2. **पुल्लिंग–** जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं; जैसे– लड़का, पुरुष, बेटा, चाचा, दादा, नाना, बैल, गुड्डा, बछड़ा, कुत्ता, शेर आदि।

3. **स्त्रीलिंग–** जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं; जैसे- लड़की, स्त्री, बेटी, चाची, दादी, नानी, गाय, गुड़िया, बछिया, कुतिया, शेरनी आदि।

4. **नित्य स्त्रीलिंग शब्द–** नर्स, सती, धाय, सौत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, मकड़ी, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं।

5. **नित्य पुल्लिंग शब्द**- तोता, कौआ, पक्षी, उल्लू, पशु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गैंड़, बाज, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, चीता आदि शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं।

उ०(ग) 1. **पुल्लिंग की पहचान**

(i) जिन शब्दों के अंत में 'अ' हो (अकारांत शब्द), वे प्राय: पुल्लिंग होते हैं; जैसे- जंगल, खेल, नाच, संसार, पहाड़, वन, बालक, मन आदि। (अपवाद-नाक, आँख, देह आदि।)

(ii) संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं; जैसे- राजा, देव, मुनि, फल, गृह, पुष्प, मित्र आदि।

(iii) जिन शब्दों के अंत में 'आ' हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं; जैसे- लड़का, मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, मोटा, बुढ़ापा आदि। (अपवाद-लता, दया, माला, मैना, बरखा, जटा आदि।)

2. **स्त्रीलिंग की पहचान**

(i) ई, नी, री, त, ता, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे-

ई – आबादी, खिड़की, कुर्सी, नदी, गरीबी आदि। (अपवाद– पानी, घी)

नी – कथनी, करनी, जननी, मँगनी, ओढ़नी, छँटनी आदि।

री – पटरी, गठरी, मठरी आदि।

त – हरकत, चाहत, रंगत, खपत आदि।

आई – चढ़ाई, कटाई, खटाई, मिठाई, भलाई, बुनाई, ढिलाई, लड़ाई आदि।

इमा – लालिमा, कालिमा, महिमा, नीलिमा, गरिमा आदि।

आस – प्यास, भड़ास, खटास आदि।

आवट – थकावट, बनावट, सजावट, बुनावट आदि।

आहट – गरमाहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि।

(ii) जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में 'आ, इ' अथवा 'उ' हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे-

आ – क्षमा, दया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना, पाठशाला आदि।

इ – अग्नि, शक्ति, समिति, रीति, विधि, शांति आदि।

उ – वायु, धेनु, आयु, धातु, रेणु आदि।

(iii) भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे- हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, ब्रज, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि।

3. **पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम–** पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों (शब्दांशों) का प्रयोग किया जाता है। उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग-परिवर्तन करने संबंधी कुछ नियम निम्न प्रकार हैं-

(i) 'अ' को 'आ' करके-

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**	**पुल्लिंग**	**स्त्रीलिंग**
छात्र	छात्रा	वृद्ध	वृद्धा
सुत	सुता	बाल	बाला

(ii) 'अ' तथा 'आ' को 'ई' करके-

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**	**पुल्लिंग**	**स्त्रीलिंग**
देव	देवी	मामा	मामी
पुत्र	पुत्री	चाचा	चाची
हिरन	हिरनी	घोड़ा	घोड़ी

(iii) कुछ परिवर्तनों के साथ 'आ' को 'इया' करने से-

पुल्लिंग	**स्त्रीलिंग**	**पुल्लिंग**	**स्त्रीलिंग**
बूढ़ा	बुढ़िया	कुत्ता	कुतिया
लोटा	लुटिया	चूहा	चुहिया
बेटा	बिटिया	डिब्बा	डिबिया

अध्याय 8

वचन

उ०(क) 1. वचन का मूल अर्थ है– कहना या बताना।

2. वचन दो प्रकार के होते हैं।

3. जनता व भीड़ आदि शब्द एकवचन में प्रयोग किये जाते हैं।

4. लुएँ।

उ०(ख) 1. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं; जैसे– लड़का-लड़के, पंखा-पंखे, बच्चा-बच्चे आदि।

2. **एकवचन–** संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे- पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता, मेज, कुर्सी आदि।

3. **बहुवचन–** संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे- पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, मेंज़ें कुर्सियाँ आदि।

4. **वचन की पहचान–** वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रूप रचना द्वारा हो जाती है; जैसे-

अ	**ब**
1. **घोड़ा** घास खा रहा है।	1. **घोड़े** घास खा रहे हैं।
2. **मैं** पत्र लिख रहा हूँ।	2. **हम** पत्र लिख रहे हैं।
3. **वह** घर जा रहा है।	3. **वे** घर जा रहे हैं।

एकवचन	बहुवचन
घोड़ा	घोड़े
मैं	हम
वह	वे

उ०(ग) 1. वचन शब्द का मूल अर्थ है– कहना या बताना। इस प्रकार संख्यावचन से तात्पर्य है– संख्या को बताना। संख्या वचन का संक्षिप्त रूप है– वचन। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है।

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए-

(i) घोड़ा दौड़ रहा है। (iii) मैंने कविता सुनाई।

(ii) घोड़े दौड़ रहे हैं। (iv) हमने कविताएँ सुनाईं।

पहले वाक्य में 'घोड़ा दौड़ रहा है।' से एक घोड़े के दौड़ने का बोध होता है, जबकि दूसरे वाक्य में यही क्रिया एक से अधिक घोड़ों के द्‌वारा हो रही है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में 'एक कविता' का बोध होता है, जबकि चौथे वाक्य में 'एक से अधिक' कविताओं का बोध होता है। तीसरे वाक्य में 'मैंने' शब्द से एक व्यक्ति व चौथे वाक्य में 'हमने' शब्द से 'एक से अधिक' व्यक्तियों का बोध होता है।

इस प्रकार या तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक होती है या एक से अधिक। संख्या का यह रूप ही व्याकरण में 'वचन' कहलाता है।

2. (i) साधारणत: एक संख्या के लिए एकवचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी-कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एकवचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

(1) किसी एक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है; जैसे-

(क) श्री राम बड़े वीर थे।

(ख) मेरे पिता चिकित्सक हैं।

(ग) महात्मा बुद्‌ध महान थे।

(घ) आप कहाँ से आए हैं?

(2) लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है; जैसे-'तू' एकवचन के स्थान पर

'तुम' का प्रयोग। 'तू' का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा यह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी।

(क) तू क्या कर रहा है?

(ख) तू कब जाएगा?

(ग) तू सो जा।

ये सभी वाक्य सुनने में अप्रिय तथा अपमानजनक लगते हैं।

(3) कभी-कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग कर दिया जाता है; जैसे- मालिक ने कहा- ''हम मीटिंग में जा रहे हैं।''

ऑफ़िस से आते ही पिता जी बोले- ''हम आ गए हैं।''

(ii) जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है, उनका प्रयोग केवल एकवचन में ही किया जाता है; जैसे-

(1) वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया था।

(2) जन-समूह कल यहाँ एकत्र होगा।

(3) छात्र-दल यहाँ बैठेगा।

3. **एकवचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम**

(i) अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम 'अ' को 'ए' कर दिया जाता है-

एकवचन	**बहुवचन**	**एकवचन**	**बहुवचन**
बेटा	बेटे	ताला	ताले
लड़का	लड़के	परदा	परदे
शीश	शीशे	चूहा	चूहे
गमला	गमले	लेखक	पंखे

(ii) अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'एँ' जोड़ दिया जाता है-

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आँख	आँखें	कमीज	कमीजें
रात	रातें	सड़क	सड़कें
साइकिल	साइकिलें	किताब	किताबें
दीवार	दीवारें	बहन	बहनें

उ०(घ) 1. लता वृक्षों पर फैल गई हैं।

2. अपने शिष्यों का नाम बताओ।

3. विद्यालय में छात्र कक्षाओं में बैठे हैं।

4. अपूर्व ने बिल्ली और तोता पाल रखा है।

5. गर्मियों में रात छोटी होती हैं।

6. सभी ने टोपियाँ पहन रखी थीं।

7. बच्चा पुस्तकों से कहानी पढ़ रहा है।

अध्याय 9

कारक

उ०(क) 1. कर्ता कारक का विभक्ति-चिह्न 'ने' है।

2. कारक के आठ भेद हैं।

3. कर्ता कारक का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है।

4. कारकीय चिह्नों को विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं।

उ०(ख) 1. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं।

2. **कारक के भेद–** कारक के निम्नलिखित आठ भेद हैं–

(i) कर्ता कारक	(ii) कर्म कारक
(iii) करण कारक	(iv) संप्रदान कारक
(v) अपादान कारक	(vi) संबंध कारक
(vii) अधिकरण कारक	(viii) संबोधन कारक।

3. **कर्म कारक–** क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति-चिह्न 'को' है। यह चिह्न भी बहुत-से स्थानों पर नहीं लगता; जैसे-

(i) श्वेता ने अपूर्वा को देखा।

(ii) अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है।

वाक्य संख्या (i) में परसर्ग 'को' का प्रयोग हुआ है परंतु संख्या (ii) के वाक्य में नहीं हुआ।

4. **करण कारक और अपादान कारक में अंतर**- करण कारक तथा अपादान कारक, दोनों का विभक्ति-चिह्न 'से' है, परंतु करण कारक में 'से' किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में 'से' अलग होने का सूचक होता है।

पेड़ से पत्ते गिरते हैं। (करण कारक)

मैं पैन से पत्र लिखता हूँ। (अपादान कारक)।

उ०(ग) 1. **कारक विभक्ति-चिह्न सहित–** कारक का विभक्ति चिह्न सहित वर्णन निम्न प्रकार है–

कारक का नाम	**विभक्ति चिह्न**
(i) कर्ता	ने
(ii) कर्म	को
(iii) करण	से, के द्वारा
(iv) संप्रदान	को, के लिए
(v) अपादान	से
(vi) संबंध	का, के, की, रा, रे, री
(vii) अधिकरण	में, पर
(viii) संबोधन	हे! अरे!

2. वाक्यों में कारकों का प्रयोग दो प्रकार से होता है– परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। नीचे कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है–

(i) **कर्ता कारक**

परसर्ग सहित	**परसर्ग रहित**
(1) बालक ने पत्र लिखा।	बालक पत्र लिखता है।
(2) हमने चाय पी।	हम चाय पीते हैं।

(ii) **कर्म कारक**

(1) श्याम ने मोहन को समझाया।	माली फूल तोड़ता है।
(2) पेड़ को मत काटो	उसने पेड़ काटा।

(iii) **करण कारक**

(1) मालती चाकू से फल काटती है।	मैंने कानी सुनी बात कहीं।
(2) वह कार द्वारा दिल्ली गया।	वहाँ हजारों गरीब भूखे मरे।

(iv) **संप्रदान कारक**

(1)	गोपाल को दूध दो।	उसे पानी पिलाओ।
(2)	सचिन ने भारत के लिए पारी खेली।	मुझे खाना दो।

3. अकारांत पुल्लिंग शब्द-रूप 'बालक'

कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
कर्म	बालक, बालक को	बालक, बालकों को
करण	बालक से, के द्वारा	बालकों से, के द्वारा
संप्रदान	बालक को, के लिए	बालकों को, के लिए
अपादान	बालक से (पृथक्)	बालकों से (पृथक्)
संबंध	बालक का, की, के	बालकों का, की, के
अधिकरण	बालक में, पर	बालकों में, पर
संबोधन	हे बालक!	हे बालको!

उ०(घ)

1.	उसने **पेंसिल** से एक चित्र बनाया।	करण कारक
2.	राजा ने **गरीबों** को कंबल दिए।	संप्रदान कारक
3.	**भारत** की नारी महान है।	संबंध कारक
4.	**पेड़** से पत्ते गिरते हैं।	अपादान कारक
5.	**मेज़** पर पुस्तक रख दो।	अधिकरण कारक
6.	**हाथ** से छड़ी गिर गई।	अपादान कारक
7.	**हमारा** गाँव दूर है।	संबंध कारक
8.	नाव **नदी** में डूब गई।	अधिकरण कारक
9.	वह **घर** में है।	अधिकरण कारक

अध्याय 10
सर्वनाम

उ०(क) 1. छह।

2. तीन।

3. मैं स्वयं खाना पका लूँगा।

4. सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है।

उ०(ख) 1. **सर्वनाम–** वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द हैं– मैं, हम, वह, उसे, वे, ये, तुम आदि।

उदाहरण– ईशा एक अच्छी लड़की है।
वह प्रातः जल्दी उठती है।
उसे घर के काम में हाथ बँटाना पड़ता है।

2. सर्वनाम के छः प्रमुख भेद हैं, जो निम्नलिखित हैं–
   (i) पुरुषवाचक सर्वनाम
   (ii) निश्यवाचक सर्वनाम
   (iii) अनिश्चयवाचक सर्वनाम
   (iv) संबंधवाचक सर्वनाम
   (v) प्रश्नवाचक सर्वनाम
   (vi) निजवाचक सर्वनाम।

3. **प्रश्नवाचक सर्वनाम–** जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है; जैसे– कौन, क्या, किसने, कौन-सा आदि। बाहर कौन खड़ा है? थैले में क्या है? कौन-सी पुस्तक लाऊँ? रुपए किसने चुराए?

4. **निजवाचक सर्वनाम–** जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व (अपने आप) का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे– स्वयं, आप, खुद अपने आप आदि।
   उत्तम पुरुष- मैं स्वयं चला जाऊँगा।
   मध्यम पुरुष- तुम अपना काम स्वयं करो।

अन्य पुरुष- वे अपना काम स्वयं ही कर लेंगे।

उ०(ग) 1. (i) **उत्तम पुरुष–** बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं; जैसे– मैं, हम, हम सब, हम लोग आदि।

(ii) **मध्यम पुरुष–** जिससे बात की जाती है या जिसके विषय में कुछ लिखा जाता है अथवा जिसे संबोधन करके कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे– तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब आदि।

2. पुरुषवाचक सर्वनाम में 'मैं' या संप्रदान तथा संबंध कारक

संप्रदान कारक	एकवचन	बहुवचन
	मुझको, मुझे, मेरे लिए	हमें, हमको, हमारे लिए
संबंध	एकवचन	बहुवचन
	मेरा, मेरी, मेरे	हमारा, हमारी, हमारे

3. **सर्वनामों में लिंग**- सर्वनाम शब्दों के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वही सर्वनाम स्त्री-पुरुष सबके लिए प्रयुक्त होते हैं; अतः किसी सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है, अथवा उस शब्द से जाना जाता है, जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो।

उदाहरणार्थ-

राम ने पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा।

तुमने पत्र लिखा। तुमने पत्र लिखा।

उ०(घ) 1. जो 2. तुझे, वे

3. तुम, वे 4. आप, कुछ

5. मेरा, तेरा

अध्याय 11
विशेषण

उ०(क) 1. पाँच। 2. दो।

3. दो अवस्थाएँ।

4. प्रविशेषण– जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं।

उ०(ख) 1. **गुणवाचक विशेषण–** जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे-

(i) यह इमारत बहुत ऊँची है।

(ii) हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में है।

(iii) राम बड़े वीर थे।

इन वाक्यों में 'ऊँची', 'उत्तरी' व 'वीर' शब्द क्रमशः इमारत, हिमालय तथा राम की विशेषता बता रहे हैं; अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं।

2. **संख्यावाचक विशेषण–** जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– (i) मोहित के पास आठ गेंद हैं। (ii) रमन तीसरी कक्षा में पढ़ता है।

इन वाक्यों में 'आठ' तथा 'तीसरी' पद संख्या का बोध कराते हैं; अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं।

3. **उत्तमावस्था–** इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है; जैसे- गगन सबसे अच्छा लड़का है।

4. कुछ शब्दों जैसे- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं; जैसे- वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि।

उ०(ग) 1. संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं– (i) निश्चित संख्यावाचक (ii) अनिश्चित संख्यावाचक।

(i) **निश्चित संख्यावाचक–** इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है; जैसे- एक, दो, तीन, चार, पाँच, पहला, दूसरा, दुगना, तिगुना, तीनों, प्रत्येक, आधा आदि।

(ii) **अनिश्चित संख्यावाचक–** इन विशेषणों से व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता; जैसे– कई लोग, अनेक वृक्ष, कुछ पशु, सैकड़ों, बहुत सारे आदि।

2. **परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर–** यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ हो, तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण देखिए-

	संख्यावाचक विशेषण	परिमाणवाचक विशेषण
(i)	मैंने चार केले खाए।	मैंने कुछ लीटर तेल लिया।
(ii)	दो बच्चे खेलने गए हैं।	थोड़े चावल लाया हूँ।
(iii)	सिनेमा देखने छह दर्शक आए हैं।	कम समय में अधिक काम करो।

3. दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों-अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं-

(i) मूलावस्था (ii) उत्तरावस्था (iii) उत्तमावस्था

(i) **मूलावस्था–** इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है; जैसे- गरिमा लंबी है।

(ii) **उत्तरावस्था–** इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है; जैसे- गरिमा सरिता से अधिक लंबी है।

(iii) **उत्तमावस्था–** इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है; जैसे- गगन सबसे अच्छा लड़का है।

इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए 'तर' और 'तम' प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं-

मूलावस्था	**उत्तरावस्था**	**उत्तमावस्था**
श्रेष्ठ	श्रेष्ठतर	श्रेष्ठतम
न्यून	न्यूनतर	न्यूनतम
बलिष्ठ	बलिष्ठतर	बलिष्ठतम
विशाल	विशालतर	विशालतम
महान्	महत्तर	महत्तम
वृहत्त	वृहत्तर	वृहत्तम
गुरु	गुरुतर	गुरुतम
लघु	लघुतर	लघुतम
मधुर	मधुरतर	मधुरतम
सुंदर	सुंदरतर	सुंदरतम
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
योग्य	योग्यतर	योग्यतम

अध्याय 12

क्रिया

उ०(क) 1. क्रिया का मूल धातु है।

2. क्रिया को दो भागों में बाँटा गया है।

3. दो आधार।

4. संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में पाँच प्रकार से परिवर्तन होता है।

उ०(ख) 1. जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं; जैसे– लिख, पढ़, जा, गा, आ, खा आदि।

2. क्रिया का मूल 'धातु' है। 'धातु' क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं, जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है।

3. **अकर्मक क्रिया–** अकर्मक से अभिप्राय है- 'बिना कर्म का'। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे- बिल्ली बैठी है। बच्चा सोता है।
उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल देखिए- शीला हँसती है। हाथी बैठा है। कुत्ता भौंक रहा है।

4. जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है, तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं; जैसे– 'वह विद्यालय से आते ही सो गया।' यहाँ 'आते ही' तात्कालिक क्रिया है। यह क्रिया धातु में 'ते' प्रत्यय तथा 'ही' जोड़कर बनाई जाती है।

उ०(ग) 1. (i) **एककर्मक क्रिया–** जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, उन्हें एककर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– माली फूल तोड़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है।

(ii) **द्विकर्मक क्रिया–** जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– रमेश ने रवि को रुपए दिए। राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। यहाँ 'देना' क्रिया के दो कर्म क्रमशः 'रवि, रुपए' तथा 'मंत्री, पुरस्कार' हैं। द्विकर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य तथा

दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म प्रायः अप्राणीवाचक तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है।

2. (i) **सामान्य क्रिया–** वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, वह सामान्य क्रिया कहलाती है; जैसे-
वह आया। विनोद गया। तुम पत्र लिखो।
इन वाक्यों में क्रमशः 'आया, गया, लिखो'- एक-एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः ये सामान्य क्रियाएँ हैं।

(ii) **संयुक्त क्रिया–** जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का साथ-साथ प्रयोग हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है; जैसे- शिकारी ने हिरण को मार डाला। मैंने खाना खा लिया था।

3. पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष तीन प्रकार के होते हैं–
(i) उत्तम पुरुष (ii) मध्यम पुरुष
(iii) अन्य पुरुष।

(i) **उत्तम पुरुष–** उत्तम पुरुष का इस्तेमाल वक्ता स्वयं के लिए करता है। इसमें मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमको आदि शब्द होते हैं।

(ii) **मध्यम पुरुष–** मध्यम पुरुष का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। इसमें वक्ता– आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शामिल है।

(iii) **अन्य पुरुष–** इसका प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। इसमें वक्ता– यह, वह, ये, वे जैसे शब्दों का प्रयोग करता है।

उदाहरण–

उत्तम पुरुष	**मध्यम पुरुष**	**अन्य पुरुष**
मैं जाता हूँ।	तू जाता है।	वह जाता है।
हम सोते हैं।	तुम सोते हो।	वे सोते हैं।

4. वाक्य में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कभी तो कर्ता के अनुसार होते है, कभी कर्म के अनुसार और कभी इन दोनों में

से किसी के अनुसार नहीं होते। इस आधार पर क्रिया का तीन प्रकार से प्रयोग होता है-

(i) **कर्तरि प्रयोग (कर्ता के अनुसार)–** जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब कर्तरि प्रयोग होता है; जैसे- बच्चा फूल तोड़ता है।

(ii) **कर्मणि प्रयोग–** जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब कर्मणि प्रयोग होता है; जैसे- श्वेता ने गीत गाया।

(iii) **भावे प्रयोग–** जब क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते तथा क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में होती है, तब क्रिया के इस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं; जैसे- मुझसे चला नहीं जाता। मीरा से गाया जाता है।

उ०(घ) 1. घटी 2. हुई
3. पी 4. हुई
5. पड़ी 6. हुआ

उ०(ङ) 1. भिजवाया 2. बनवायें
3. पढ़वाया 4. कटवा

अध्याय 13

काल

उ०(क) 1. भूतकाल के छः भेद हैं।

2. काल को तीन भागों में बाँटा गया है।

3. वर्तमान काल के तीन भेद हैं।

4. भविष्यत् काल के दो भेद हैं।

उ०(ख) 1. **काल–** क्रिया के रूप से कार्य के करने, होने या न होने के समय का बोध होता है। इस समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं। जैसे–

(i) गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता।

(ii) गोपाल कमरे में बैठा है।

(iii) छुट्टियों में हम शिमला जाएँगे।

2. **भूतकाल–** क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो, उसे भूतकाल कहते हैं; जैसे- राम ने रावण को मारा। कल वर्षा हुई थी।

4. **भविष्यत् काल–** क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्यत् काल कहलाता है। उदाहरण- वह विद्यालय जाएगा। कल परीक्षा होगी।

उ०(ग) 1. समय की इसी विभिन्नता के आधार पर क्रिया के समय अर्थात् काल का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है–

(i) **भूतकाल–** यह छः प्रकार का होता है–

- सामान्य भूत
- आसन्न भूत
- अपूर्व भूत
- पूर्ण भूत
- संदिग्ध भूत
- हेतुहेतुमद् भूत।

(ii) **वर्तमान काल–** वर्तमान काल के निम्नलिखित तीन भेद हैं–

- सामान्य वर्तमान
- अपूर्ण वर्तमान
- संदिग्ध वर्तमान।

(iii) **भविष्यत् काल–** भविष्यत् काल दो प्रकार का होता है–

• सामान्य भविष्यत् • संभाव्य भविष्यत्।

2. (i) **अपूर्ण भूत–** क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। उदाहरण– श्वेता पाठ याद कर रही थी। गोपाल नहा रहा था।

इन वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य प्रारंभ भूतकाल में हुआ था, परंतु उसकी पूर्णता की सूचना नहीं है।

(ii) **पूर्ण भूत–** क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण– पिता जी ऑफ़िस चले गए थे। रेलगाड़ी आ चुकी थी। बच्चा सो गया था।

3. भविष्यत् काल के निम्नलिखित दो भेद हैं–

(i) **सामान्य भविष्यत्**– क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत् काल कहते हैं।

उदाहरण– आज वह खेलने जाएगा। पिता जी पत्र लिखेंगे। कल हम पिकनिक पर जाएँगे।

(ii) **संभाव्य भविष्यत्–** जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, तब संभाव्य भविष्यत् काल होता है।

उदाहरण– शायद मेहमान कल आ जाएँ। हो सकता है कल वर्षा हो।

इन क्रियाओं में घटित होने की संभावना है; अतः ये भविष्यत् काल में हैं।

उ०(घ)	**काल**	**भेद**
	1. भूतकाल	अपूर्ण भूत
	2. भूतकाल	आसन्न भूत
	3. भविष्यत् काल	संदिग्ध भूत
	4. भविष्यत् काल	संदिग्ध वर्तमान
	5. भूतकाल	हेतुहेतुमद् भूत
	6. भूतकाल	सामान्य भूत
	7. भविष्यत् काल	संभाव्य भविष्यत्
	8. भविष्यत् काल	सामान्य भविष्यत्
	9. भविष्यत् काल	संभाव्य भविष्यत्
	10. भूतकाल	हेतुहेतुमद् भूत

उ०(ङ) 1. संदिग्ध भूत 2. भविष्यत् काल

3. संभाव्य भविष्यत्।

अध्याय 14

वाच्य

उ०(क) 1. वाच्य के तीन भेद हैं।

2. बच्चा पढ़ता है।

3. बच्चे द्‌वारा पुस्तक पढ़ी गई।

4. भाव का अर्थ है– क्रिया का भाव।

उ०(ख) 1. क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं।

2. **कर्मवाच्य–** ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है।

उदाहरण- पुस्तक लड़के के द्‌वारा पढ़ी गई। बालकों द्‌वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है।

इन वाक्यों में क्रमशः 'पुस्तक' तथा 'नाटक' कर्म हैं। यही अपने-अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं; अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में हैं।

3. **कर्तृवाच्य–** ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात् इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है।

उदाहरण- लड़का पढ़ता है। शीला खेलती है। राम जा रहा है।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया 'पढ़ता है', 'खेलती है' तथा 'जा रहा है' का मुख्य विषय कर्ता क्रमशः 'लड़का', 'शीला' तथा 'राम' है; अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य में हैं।

4. **भाववाच्य–** भाव का अर्थ है– क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो, न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण- अब मुझसे सहा नहीं जाता। उनसे नहाया नहीं गया।

उ०(ग) 1. **कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन–** कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ 'से' या 'द्‌वारा' लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शायी जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ 'जाना' क्रिया

का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो, उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। कुछ उदाहरण देखिए-

कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य
1. श्याम पत्र लिखता है।	श्याम से पत्र लिखा जाता है।
2. राम ने रावण को मारा।	राम के द्वारा रावण मारा गया।
3. डाकू लोगों को मार डालेंगे।	लोग डाकुओं द्वारा मार डाले जाएँगे।
4. यह पुस्तक रमाकांत ने लिखी है।	यह पुस्तक रमाकांत के द्वारा लिखी गई है।
5. क्या आप शिमला जाएँगे?	क्या आप द्वारा शिमला जाया जाएगा?

2. **कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन–** कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्त- चिह्न 'से, के द्वारा' लगाते हैं। इसमें क्रिया एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार 'जाना' क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकतानुसार निषेधसूचक 'नहीं' का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए-

कर्तृवाच्य	भाववाच्य
1. लड़के छत से कूदते हैं।	लड़कों द्वारा छत से कूदा जाता है।
2. क्या वे पढ़ेंगे?	क्या उनसे पढ़ा जाएगा?
3. हिरण तेज दौड़ता है।	हिरण से तेज दौड़ा जाता है।
4. गोपाल नहाया।	गोपाल से नहाया गया।

3. कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति - चिह्न 'से' या 'के द्वारा' का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं।

हिंदी में सामान्यतः कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रायः निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है-

(i) जब कर्ता मालूम न हो या उसे बताने की आवश्यकता न हो; जैसे-

(1) शुभकामनाएँ भेजी जा रही हैं।

(2) हज़ारों लोगों द्वारा पूजा की गई।

(ii) सूचनाओं या आदेशों में; जैसे-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि.....

(iii) असमर्थता बताने के लिए; जैसे-

'आज गीतों की शाम' कार्यक्रम आठ बजे के स्थान पर दस बजे प्रस्तुत किया जाएगा।

उ०(घ) 1. कर्तृवाच्य 2. कर्तृवाच्य

3. भाववाच्य 4. कर्मवाच्य

5. भाववाच्य।

उ०(ङ) 1. आज हमारे द्वारा फल खाएँ जायँगे।

2. बालक पत्र लिखता है।

3. पुलिस द्वारा कल तक चोर पकड़ लिए जायेंगे।

4. पुलिस ने भीड़ पर गोलियाँ चलाईं।

5. क्या उनसे बोला जायेगा।

अध्याय 15

वाक्य विचार

उ०(क) 1. वाक्य के छः अनिवार्य तत्व माने जाते हैं।

2. वाक्य के दो अंग होते हैं।

उ०(ख) 1. सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है।

2. **उद्देश्य–** वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं; जैसे– 'सविता गीत गा रही है।' यहाँ सविता के विषय में कहा गया है। अतः 'सविता' वाक्य का उद्देश्य है।

उ०(ग) 1. (i) **सार्थकता**- सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य संरचना नहीं कर सकता। ऐसे शब्द वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ तभी प्रयोग किए जा सकते हैं, जब वे भी कुछ अर्थ दें; जैसे- (1) क्या 'चैं-चैं' लगा रखी है? (2) कुछ पानी-वानी लाओ।

यहाँ निरर्थक शब्द 'चैं-चैं' 'नाहक बोलने' तथा 'वानी' आदि, 'वगैरह' शब्द के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये निरर्थक होकर भी सार्थक हो उठे हैं।

(ii) **योग्यता**- शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हों। उदाहरणार्थ- 'घोड़ा घास पीता है।' वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी यह सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि घास खाने का पदार्थ है न कि पीने का। इसे 'घोड़ा घास खाता है।' क्रम में रखेंगे तभी यह योग्यता की शर्त पूरी कर सकेगा।

2. वाक्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो अंग होते हैं-

(i) **उद्देश्य–** वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य

कहते हैं; जैसे– 'सविता गीत गा रही है।' यहाँ सविता के विषय में कहा गया है। अत: 'सविता' वाक्य का उद्देश्य है।

(ii) **विधेय–** वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं; जैसे- सविता गीत गा रही है।' यहाँ 'गीत गा रही है' में उद्देश्य के विषय में बताया गया है; अत: यही वाक्य का विधेय है।

उ०(घ) 1. दर्जी कपड़े सीता है। सरल वाक्य

2. झूठ बोलना महापाप है। सरल वाक्य

अध्याय 16

शब्द भण्डार

पर्यायवाची शब्द

उ०(क) 1. पर्याय का अर्थ होता है– 'बदले में आने वाला'। लगभग सभी शब्द ऐसे हैं, जिनके पर्याय अर्थात् बदले में बहुत सारे शब्द आते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है।

उ०(ख) 1.

अमृत	– सुधा	पीयूष	अमिय
अंधकार	– अंधेरा	तिमिर	तम
कोयल	– कोकिला	वनप्रिय	पंचमा
पक्षी	– खग	पखेरू	पंछी
तारा	– नक्षत्र	तारक	नखत
पुष्प	– कुसुम	सुमन	फूल

2.

तालाब	– अम्बु
पृथ्वी	– तनय
अश्व	– ध्वांत
बिजली	– पलाशी
पत्नी	– शकुंता
पुरुष	– विहग

विलोम शब्द

उ०(क) 1. जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें, वे आपस में विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत हैं।

2. निर्यात तथा अशुभ

3.

कनिष्ठ-ज्येष्ठ	घृणा-प्रेम
इष्ट-अनिष्ट	अर्थ-अनर्थ
पंडित-मूर्ख	सम-विषम

4. शांत– हमारी हिंदी की शिक्षिका बड़े शांत स्वभाव की है।
पुण्य– माता-पिता की सेवा करना सौ पुण्य के समान है।
धरा– हमें अपनी धरा को स्वच्छ एवं हरा-भरा रखना चाहिए।

अनेकार्थी शब्द

उ०(ग) 1. 'अनेकार्थी' शब्द से अभिप्राय है- किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं। इनका प्रयोग संदर्भ के अनुसार किया जाता है।

2. लक्ष्मी, आदर सूचक (पुरुष), चन्दन आदि।

3.

कनक	– सोना	धतूरा	गेहूँ
नाक	– स्वर्ग	नासिका	एक फल
पक्ष	– तरफ	दो सप्ताह	पंख
कल	– चैन	मशीन	आने वाला दिन

4. पत्र – पैर
कुल – धनी
गुण – रस्सी
पक्ष – चिह्न
कल – झरना

समश्रुति भिन्नार्थक शब्द

उ०(क) 1. हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान पाए जाते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। इनके उच्चारण या प्रयोग में तनिक-सी असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुति (सुनने में समान लगने वाले) भिन्नार्थक (अर्थ में भिन्नता वाले) शब्द कहा जाता है।

2. अपर - दूसरा
अपार - जिसका पार नहीं

उ०(ख) 1. (i) कूल, कुल (ii) अनिल, अनल
(iii) परिमाण, परिणाम (iv) चिंता, चिता
(v) जलद, जलज

2. (i) पहिए का धुरा टूट गया (ii) दाँत
(iii) चीता (iv) कोस
(v) ढीट (vi) अब
(vii) गृह-प्रवेश।

वाक्यांश के लिए एक शब्द

उ०(क) 1. निर्दोष — उदारमना
असीमित — धर्मात्मा
कवयित्री — साप्ताहिक
शाकाहारी — सुपाठ्य
निर्लज्ज — अस्पृश्य
आजीवन — निष्पाप
सर्वज्ञ — भ्रष्ट

2. 1. अतिवृष्टि 2. शरणार्थी
3. सर्वसम्मति

एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द

उ०(क) 1. जिन शब्दों का अर्थ समान लगता है, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। इन शब्दों को देखने पर ये समानार्थी शब्द जैसे लगते हैं, लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं होते। इन शब्दों का कभी भी एक से ज्यादा अर्थ नहीं होता।

उ०(ख) 1. भूल – विस्मृति कर्ता की असावधानी प्रकट होती है।
त्रुटि – गलती, कोई कमी या अपूर्णता
2. निवेदन – अपनी बात को विनम्रतापूर्वक कहना
आवेदन – योग्यतानुसार किसी पद, या कार्य के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना।
3. अपराध – कानून तोड़ना
पाप – नैतिक नियम तोड़ना
4. कार्य – सामान्य आवश्यक कर्म
कर्तव्य – नैतिकता पर आधारित कार्यों को करने की जिम्मेदारी

उ०(ग) 1. अपराध 2. साहस
3. अनिवार्य 4. असफल

अध्याय 17

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

उ०(क) 1. ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे 'मुहावरा' कहते हैं।

2. लोकोक्ति (लोक+उक्ति) का सामान्य अर्थ है- लोक में प्रचलित उक्ति। मुहावरों की तरह ही लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जन-समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। ये ऐसी तीखी उक्तियाँ होती हैं, जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक-अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में 'कहावत' भी कहा जाता है।

3. **मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर**

मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर निम्न बातों से स्पष्ट है-

(i) मुहावरा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है।

(ii) मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं; अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरणस्वरूप किया जाता है।

(iii) पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं।

उ०(ख) 1. छोटी-छोटी बातों पर **आपे से बाहर नहीं होना चाहिए।**

2. वह तुम्हारे बस में आने वाला नहीं। वह तो उड़ती चिड़िया **के पंख गिनता है।**

3. वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता। उसके लिए तो काला अक्षर **भैंस बराबर है।**

4. शिवाजी ने मुगलों की ईंट **से ईंट बजाई थी।**

अध्याय 18

पत्र-लेखन

उ०(क) 1. **आवश्यकता तथा उपयोगिता–** पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाले सेतु होते हैं। ये विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का सबसे सरल एवं सुगम साधन हैं। पत्रों में मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्त होते हैं। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। कई बार संकोचवश हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते, ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं। वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं।

2. पत्रों के प्रकार– प्रमुख रूप से पत्र चार प्रकार के होते हैं-

(i) **प्रार्थना-पत्र–** इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं।

(ii) **निजी-पत्र–** इनमें अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ऐसे पत्रों में कुशलता के समाचार, निमंत्रण, बधाई-संदेश व शोक-संदेश प्रमुख होते हैं।

(iii) **व्यावसायिक पत्र–** इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं, जिन्हें 'व्यावसायिक पत्र' कहते हैं।

(iv) **सरकारी पत्र–** इनके अंतर्गत एक व्यक्ति से सरकार को, एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं।

3. पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें

(i) **सरलता–** पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस एवं प्रभावहीन बन जाता है।

(ii) **स्पष्टता–** पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके।

(iii) **संक्षिप्तता–** पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है।

(iv) **मौलिकता–** पत्र में परंपरागत, घिसे पिटे वाक्यों से पृथक् नए शब्दों तथा वाक्यों का समावेश करना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए।

उ०(ख) स्वयं करें।